न्यायालय सहायक कलक्टए एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल(नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 7/2019

प्रार्थी–

1. रामपाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट
   निवासी– रोल, तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री शैलेन्द्रसिंह कालवी
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 11/01/22

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिता का नाम भुगानाराम है। तथा उसके नाना का नाम चिमनाराम निवासी रांतगा हैं प्रार्थी के नाना चिमनाराम के एकमात्र संतान प्रार्थी की माता ही थी। प्रार्थी के नाना का स्वर्गवास होने के बाद उसकी नानी सिरदारी ने अपनी सम्पूर्ण खातेदारी की भूमियां जो ग्राम रांतगा के खाता संख्या 470 में दर्ज थी उन्हे जरिये बख्सीसनामा के प्रार्थी के नाम दर्ज करवा दिया इसलिये उस समय प्रार्थी के पिता नाम का नाम पति का नाम भुगानाराम लिख गया तथा उसी नाम से नामान्तकरण हो गया। लेकिन इसके बाद श्रीमती सिरदारी ने प्रार्थी को अपने गोदपुत्र के रूप में अपने पास ही रख लिया तथा गोद ले लिया जिसके बाद सिरदारी के गोद ले लेने के बाद प्रार्थी के पिता का नाम भी चिमनाराम हो गया क्यों कि सिरदारी के पति का नाम चिमनाराम तथा सिरदारी के गोदपुत्र के रूप में ही जीवनकाल में तथा उसके बाद प्रार्थी चिमनाराम तथा सिरदारी के गोदपुत्र के रूप में ही ग्राम रांतगा में रहा है। तथा उसके कागजात जैसे राशनकार्ड , आधार कार्ड परिचय पत्र भामाशाह कार्ड तथा जोब कार्ड तथा अन्य सभी जगह सरकारी रेकर्ड में उसके पिता का नाम चिमनाराम ही दर्ज है। ग्राम रांतगा में रामपाल पुत्र भुगानाराम नाम को कोई अन्य व्यक्ति नहीं है। खाता संख्या 470 में दर्ज रामपाल पुत्र भुगानाराम प्रार्थी ही है। अतः प्रार्थी के नाम के खाता संख्या 470 ग्राम रांतगा में प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र भुगानाराम के स्थान पर रामपाल पुत्र चिमनाराम किया जावे जिससे सरकारी काम काज में किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थी को यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

11/01/2022

Scanned with CamScanner

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार कार्यालय नायब तहसीलदार जायल ने जवाब जरिये पत्रांक 2020/775 दिनांक 06.03.2020 को मय हल्का पटवारी रांतगा की मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड संख्या 008271500706, नरेगा जोब कार्ड संख्या 7247447, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/0252090, आधार कार्ड संख्या 9540 1713 4569 , भामाशाह कार्ड संख्या वाईवाईएसआईएमसीसी, कार्यालय ग्राम पंचायत रांतगा के पत्रांक एसपीएल01 दिनांक 15.121.2018 के अनुसार ग्राम रांतगा के खाता संख्या 470 के खसरा नंबर 189, 895 , 896, 988, 993 के खातेदार रामपाल पुत्र भुगानाराम जाति जाट के स्थान पर रामपाल पुत्र चिमनाराम जाति जाट निवासी रांतगा दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में परिवार राशन कार्ड संख्या 008271500706, नरेगा जोब कार्ड संख्या 7247447, मतदाता पहचान पत्र संख्या आरजे/02/192/0252090, आधार कार्ड संख्या 9540 1713 4569 , भामाशाह कार्ड संख्या वाईवाईएसआईएमसीसी, कार्यालय ग्राम पंचायत रांतगा के पत्रांक एसपीएल01 दिनांक 15.121.2018 की फोटो प्रति तथा नकल खतौनी सम्वत् 2072–2075 खाता संख्या 470 प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में रोटू के खतौनी सं. 470 में अंकित खसरा नं. 189, 895 , 896, 988, 993 में प्रार्थी का नाम रामपाल पुत्र भुगानाराम के स्थान पर रामपाल पुत्र चिमानाराम शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, क्यों कि धारा 136 के तहत रेकर्ड मे प्रतिदिन के कार्यकलाप मे राजस्व रेकार्ड मे हुई गलतियों को सही किया जा सकता है। साथ ही भू–प्रबन्ध के दौरान किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना किसी व्यक्ति की खातेदारी या गैर खातेदारी कृषि भूमि को सिवायचक या चरागाह दर्ज कर दिया गया है अथवा किसी राजकीय भूमि , सिवायचक या चरागाह को किसी व्यक्ति के खातेदारी दर्ज कर दिया गया है तो ऐसी गलतियो को धारा 136 के तहत भू–अभिलेख अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) द्वारा समरी ट्रायल से शुद्ध किया जा सकता है। तथा किसी का जाति नाम या स्वयं का नाम भी सम्मान जनक किया जा सकता है। जैसे –रामला का रामलाल, चमार का मेघवाल इत्यादि। तथा विशेष– धारा 136 के तहत किसी को कोई नये खातेदारी अधिकार प्रदान नही किये जा सकते बल्कि रेकार्ड के आधार पर जो पूर्व मे निहित थे और जो सही एवं वास्तविक स्थिति थी उसके अनुरूप ही गलतियो की शुद्धि की जा सकती है।

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है। प्रार्थी सक्षम न्यायालय में घोषणात्मक वाद से ही अनुतोष प्राप्त करें। पत्रावली फैसल होकर अपने नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफत्र हो।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होने के कारण धारा 136 के तहत न्यायालय हाजा में चलने योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह आदेश आज दिनांक 11/01/22 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

11/01/22

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल

Scanned with CamScanner